राजरधान रारकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग णी 3/1, अम्बेक्कर भवन, शिविल लाईन रेल्वे कॉरिंग के पास, जगपुर

क्रमांकएफ ९(४)(३३) छा. पोर्टल/नवीन शुद्धाव/शान्याजवि/२०२१–२२/ 🕻 🞖 🗢 🕏

विनाम : 08 09 2023

शैक्षणिक रात्र २०२३–२४ में राजरथान के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग / विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्घघुमन्तु रामुदाय / भिराशी एवं भिश्ती रामुदाय तथा मुख्यमंत्री रार्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण रारथाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठयक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनस्त विद्य ार्थियों द्वारा बेव पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.ln/scholarshlp अथवा एराएराओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE APP अथवा गोवाईल ऐप SJED APPLICATIONS के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त)तथा रांरथाओं द्वारा ऑनलाइन पंजीयन/अद्यतनीकरण करने हेतु निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं	,	प्राएंग तिथि	अंतिम तिथि
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति पोर्टल पर शिक्षण संरथानों द्वारा नवीन पंजीयन करवाने तथा पूर्व में पंजीकृत संरथाओं की मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने हेत्		31 अक्टूबर 2023
	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन करने हेतु (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त)	15 सितंबर 2023	15 नवम्बर 2023

छात्रवृति पोर्टल पर नवीन शैक्षाणिक सत्र 2023-24 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन करने हेत् विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते है :-

1. आय सीमा:-

- (अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग-SBC) डॉ. अग्वेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC), विमुक्त, ह ामन्त एवं अर्द्धघमन्त (DNT) तथा गिरासी एवं भिश्ती समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- (व) डॉ. अम्वेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, ह ामन्त एवं अर्द्धघ्मन्त (DNT) में निम्नलिखित 17 श्रीणयों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे जैसे-वी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री / पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री / पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री / पुत्र, अनाथ वालिका / वालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री / पुत्र, तलाकशूदा महिला स्वयं,

Signature valid

Digitally signed by Hay anial Guite Designation Director Date: 2023.00 08/17.42:04 IST Reason: Approve



तलाकशुदा महिला की पुत्री / पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री / पुत्र। उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

(स) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रू. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विमाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

2. फीशिप कार्ड— अनुस्चित जाति (SC), डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ह्घमन्तु (DNT) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय बिना अग्रिम शुल्क जमा करवाये प्रवेश लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृति सुनिश्चतता हेतु फीशिप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। फीशिप कार्ड को सम्बंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार्य किये जाने पर विद्यार्थी का फीशिप कार्ड छात्रवृति आवेदन के रूप में स्वतः परिवर्तित होकर शिक्षण संस्थान के स्तर पर प्रवर्शित होगा।

3. <u>आवेदन प्रक्रियाः</u> सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन स्वंय की एस एस ओ आईडी जिसमें विद्यार्थी का आधार भी लिंक्ड हो के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। कृपया, आवेदन की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ण जांच एवं संतुष्टि उपरान्त ही आवेदन फाइनल सबिमट किया जावे। एक बार आवेदन सबिमट कर दिए जाने

के उपरांत आवेदन में कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।

4. जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

5. सत्र 2023—24 में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित शिक्षण संस्थान में उक्त सत्र के अंतर्गत प्रवेशित/अध्ययनरत होना अनिवार्य है।

6. छात्र/छात्रा को अपने आवेदन में चालू मोबाईल नम्बर एवं स्वय की ई—मेल आईडी अंकित करनी होगी।

7. दस्तावेज:— छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के अधिकांश दस्तावेज जैसे— आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाएं आदि जनाधार/राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाइन ली जायेंगी। साथ ही छात्रवृति आवेदन में वाछित सभी मूल दस्तावेजों तथा फीस रसीद को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा।

8. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन :— नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर वास्तविक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में भी संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

- 9. विद्यार्थी का बैंक विवरण:— पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृति राशि उनके स्वयं के बैंक खाते में ही हस्तानांतरित की जावेगी। अतः विद्यार्थी अपने आधार बेस्ड/सीडेड/लिंक्ड बैंक खाते के विवरण को आवेदन करने से पूर्व जनाधार में अनिवार्य रूप से अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:
 - a. विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउण्ट ही हो।
 - b. छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वयं का खाता हो।
 - c. छात्र/छात्रा के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय-अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन

Signature yalid

Digitally signed by Hay anlal Guite Designation, Director Date: 2023.09.08 12.42:04 IST

Reason: Approver



ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।

- d. बैक खाता बन्द न हो अर्थात बैंक नियमों के अनुसार न्यूनतम घरोहर राशि सरकारी बैंक में 1000 एवं निजी बैंक में 5000 भुगतान के समय उपलब्ध हो।
- थि शैंक खाता माईनर है एवं छात्रवृति की राशि 25000 रूपये से ज्यादा है, तो हैंक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वयस्क खाते में परिवर्तित करावें।
- 10. शुल्क संरचना:— शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee) 3.शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) 4.खेल—कूद शुल्क (Games/Sports Fee) 5.संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee) 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee) 7.पित्रका शुल्क (Magazine Fee) 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का विवरण ऑकित करें। जक्तानुसार ही उस पाठयकम के समस्त विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत छात्रवृति देय होगी। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थित में विद्यार्थी को केवल अनुरक्षण मत्ता ही देय होगा तथा अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संमव नहीं होगा।
- 11. शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन:— छात्रवृत्ति पोटल पर विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है तो इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जावेगा जिसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।
- 12. विद्यार्थी की बायोमैट्रिक उपस्थिति:— विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेषित किये जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृति पोर्टल पर आधार बेस्ड बोयामैट्रिक उपस्थित दर्ज कराना अनिवार्य है। जिसके अभाव में आवेदन अग्रेषित एवं स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति डिवाइस को पंजीकृत किया जाना होगा।
- 13. शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन:— जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2023—24 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रवृति पोर्टल पर रिजस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है, वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। रिजस्ट्रेशन अथवा अपडेशन के अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।
- 1. <u>छात्रवृति सत्यापन व स्वीकृतकर्ताः</u> नवीन व्यवस्थानुसार सत्र 2023–24 से शिक्षण संस्थान जिस जिले में संचालित है उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदनों की जांच, सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार उसी जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा। किन्तु राज्य के बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदनों के मामलों में क्षेत्राधिकार उस जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी है।

Signature yalid

Digitally signed by Hay anlal Guite Designation Oirecto Date: 2023.09.08/17.42:04 IST Reason: Approved



- 2. उत्तर भैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत यदि किसी भी अपात्र विद्यार्थी द्वारा गैर—कानूनी ढंग से छात्रवृति प्राप्त किए जाने हेतु प्रयास किए जाते है अथवा किसी विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृति आवेदनों की जाँच एंव सत्यापन में कोई अनियमितता वस्ती जाती है तो विभाग द्वारा छात्रवृति पोर्टल पर संबंधित विद्यार्थी को भविष्य में छात्रवृति आवेदन करने से डिवार/ब्लैक लिस्ट तथा संबंधित संस्थान को होल्ड/ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा । साथ ही गम्भीर प्रकरणों में दोषी विद्यार्थी एंव संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कारवाई (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाई जा सकेगी।
- 3. उत्तर भैट्रिक छात्रवृति योजनाओं से संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा—निर्देश एवं छात्रवृति योजना संचालन प्रक्रिया 2023 बेव पोर्टल www.simsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय बेब साइट sje.rajasthan.gov.in का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेवें।

आवेदन करने में किसी भी तकनीकी समस्या होने पर विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

> (हउिल्यनलल् गुईटे) निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:एफ ९(४)(३३) छा. पोर्टल / नवीन सुझाव / सान्याअवि / २०२१-२२ / ६८०६ - २२ दिनांक : 08 09 /2023 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर। 2. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। 3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपूर। 5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर। <u>6.</u> निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / संस्कृत, बीकानेर / जयपुर। 8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा / निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर। 9. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)। <u>10.</u> वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास। 11. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर। 12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त......। 13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) / संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.......I

15. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त......।

<u>14.</u> प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.......

Signature yalid

Digitally signed by Havianlal Guite Designation, Director Date: 2023.09.08/17.42:04 IST Reason: Approver



16.	अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण रांरथान रागरत,।
	संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त सगस्त शिक्षण संस्थाएं
18.	एनालिस्ट कम प्रोगामर (उपनिदेशक आई. टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यव
	व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, वेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई—मेल करवाने हेतु।
	उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथ
	अपने जिले में रिधत समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
20.	सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21.	संयुक्त / उप / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त)।
	रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)

Signature valid

Digitally signed by Hayranlal Guite
Designation Aprice to
Date: 2023.09.08/12.42:04 IST
Reason: Approver



